

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-1-36/2011

378

/पटना, दिनांक 16/10/24

ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों के बीच पूर्व में आवंटित कार्यों को संशोधित करते हुए विभिन्न प्रशाखाओं में आवंटित कार्य पदाधिकारियों द्वारा निम्न शृंखलानुसार निष्पादित किये जायेंगे:-

क्र0 सं0	प्रशाखा / आवंटित कार्य	कनीय प्रभार	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अंतिम प्रक्रम के पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रशाखा-01 / मुख्यालय स्थापना पदाधिकारियों से संबंधित कार्य	—	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
2	प्रशाखा-02 / अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य	—	—	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
3	प्रशाखा-03 / अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य	—	—	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
4	प्रशाखा-04 / कनीय अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य	—	श्री उमंग, अवर सचिव	—	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
5	प्रशाखा-05 / सहायक अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य	—	—	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
6	प्रशाखा-06 / कार्यपालक अभियंता एवं उससे उपर के अभियंता के स्थापना एवं अन्य कार्य	—	—	श्री इफतेखार अहमद, उप सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
7	प्रशाखा-07 / न्यायालय एवं सेवांत लाभ के मामले एवं अन्य कार्य	—	श्री उमंग, अवर सचिव	श्री अशोक कुमार दूबे, विधि परामर्शी	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
8	प्रशाखा-08 / वर्ग-3 का क्षेत्रीय स्थापना एवं अन्य कार्य	—	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	अभियंता प्रमुख	अपर मुख्य सचिव
9	प्रशाखा-09 / बिहार विधान परिषद से सम्बन्धित मामले	श्री अभिषेक राज, सहायक योजना निदेशक	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	संबन्धित मुख्य अभियंता	सम्बन्धित अभियंता प्रमुख / सम्बन्धित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
10	प्रशाखा-10 / बिहार विधानसभा से सम्बन्धित मामले	श्री अभिषेक राज, सहायक योजना निदेशक	श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव	संबन्धित मुख्य अभियंता	सम्बन्धित अभियंता प्रमुख / सम्बन्धित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव

11	प्रशाखा-11/ वर्ग-4 का स्थापना/पथ हस्तान्तरण एवं अन्य कार्य	—	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	श्रीमती मुकुल सहाय, उप सचिव	अभियंता प्रमुख	अपर मुख्य सचिव
12	प्रशाखा-12/ लेखा से संबंधित एवं अन्य कार्य	—	श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव	श्री इफतेखार अहमद, उप सचिव	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
13	प्रशाखा-13/ बजट/आवंटन एवं अन्य कार्य	—	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
14	प्रशाखा-14/ निबंधन/नवीकरण/ कालीकरण एवं उससे संबंधित मामलें	—	श्री इफतेखार अहमद, उप सचिव	श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव	अभियंता प्रमुख	अपर मुख्य सचिव
15	प्रशाखा-15/ लोक सूचना का अधिकार एवं लोक शिकायत निवारण	—	श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, (प्रथम अपीलीय प्राधिकार)	—	--

2. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव एवं श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव एक दूसरे की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन करेंगे।
3. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य निगरानी पदाधिकारी होंगे।
4. विभागीय संकल्प सं0-6800 दिनांक-28.11.2023 द्वारा विभाजित कार्य क्षेत्र के अनुसार दोनों अभियंता प्रमुख अपने अधीन पड़ने वाले मुख्य अभियंता के क्षेत्रान्तर्गत सभी शीर्षों की सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन/निविदा निष्पादन/अनुश्रवण/गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करेंगे तथा इनके लिए जवाबदेह होंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के निमित्त अनुरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित पूरे राज्य के सभी योजनाओं के चयन/प्रशासनिक स्वीकृति की संचिकायें अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित की जायेगी जबकि इससे इतर निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं के चयन/प्रशासनिक स्वीकृति की संचिकायें एवं गुणवत्ता संबंधित संचिकायें अभियंता प्रमुख के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित की जायेगी।
6. प्रशासनिक स्वीकृति/चयन से संबंधित संचिकायें नोडल पदाधिकारी योजनाओं की प्रकृति के अनुसार मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन के माध्यम से संबंधित अभियंता प्रमुख को उपस्थापित करेंगे।
7. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव प्रशाखा-04, प्रशाखा-09 एवं प्रशाखा-10 के वरीय प्रभार में रहेंगे।
8. अभियंता प्रमुख प्रशाखा-08, प्रशाखा-11 एवं प्रशाखा-14 के वरीय प्रभार में रहेंगे एवं निबंधन, नवीकरण/कालीकरण इत्यादि मामले जो प्रशाखा-14 को आवंटित है, के मामलों के वरीय प्रभारी होंगे।
9. मुख्य जाँच आयुक्त/जाँच आयुक्त के यहाँ जारी विभागीय कार्यवाहियों में श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।
10. श्री फातेह फैयाज, संयुक्त सचिव, सेवांत लाभ, NPS, HRMS, AEBAS, BBAS एवं मानवाधिकार संबंधी मामले, आपदा जोखिम न्यूनिकरण (DRP) एवं विधि समन्वय कोषांग/कोर्ट केस मोनिटरिंग सिस्टम (CCMS) के नोडल पदाधिकारी होंगे।
11. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव SPARROW, राज्याधीन सेवाओं के नियुक्ति में महिलाओं को देय 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्यक अनुश्रवण, निर्वाचन एवं गैर तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी मामले हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।

12. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव विभाग के सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे।
13. श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे।
14. श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभाग की लोक सूचना पदाधिकारी होंगी।
15. श्री सत्येन्द्र कुमार माझी, सहायक निदेशक-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को अपर मुख्य सचिव कोषांग से सम्बद्ध किया जाता है। वे अपर मुख्य सचिव कोषांग में बैठेंगे एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा सौंपे जाने वाले विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
16. बिहार विधान परिषद एवं बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों, लोक लेखा समिति आदि से सम्बन्धित संचिकायें योजना निदेशक, कार्यरत अवर सचिव, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित की जायेगी।
17. श्री अभिषेक राज, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय), पटना प्रतिनियुक्त ग्रामीण कार्य विभाग, योजना व्यय की निगरानी (Monitoring) के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-1-36/2011 6578 /पटना, दिनांक 16/10/24  
 प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/  
 विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के  
 आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य निगरानी  
 पदाधिकारी/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के  
 सचिव (प्रावैधिक)/सभी उप सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय  
 सलाहकार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना  
 पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी  
 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को  
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-1/अ0प्र0-1-36/2011 6578 /पटना, दिनांक 16/10/24  
 प्रतिलिपि:-मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, गृह विभाग/सचिव, राज्य  
 सूचना आयोग/सचिव, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग/अपर सचिव, वित्त विभाग/अपर  
 सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव,  
 योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार,  
 पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी,  
 बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/लोक शिकायत निवारण  
 पदाधिकारी/सहायक निदेशक, बिपार्ड, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं  
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव